राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ. 165(13)/पंरावि/एफ.एफ.सी./2015–16/ 9607 जयपुर,दिनांक: 5/2/2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,/
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त।

विषयः– चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान के संवितरण संबंधी दिशा–निर्देश।

चौदहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2015–16 से 2019–20 तक (5 वर्ष) है। 14 वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से मूल अनुदान तथा वर्ष 2016–17 से कार्य निष्पादन अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को ही देने का प्रावधान किया गया है। आयोग की रिपोर्ट के अनुच्छेद संख्या 9.70 के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदान का 90 प्रतिशत अनुदान मूल अनुदान के रूप में एवं 10 प्रतिशत अनुदान कार्य निष्पादन के रूप में प्राप्त होगा। कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित पात्रता प्राप्त करनी होगी:–

1. **अंकेक्षित वार्षिक लेखें** :– आयोग की रिपोर्ट की बिन्दु संख्या 9.76 के अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदानों की पात्रता पाने हेतु ग्राम पंचायतों को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने होगे, जो कि उस वर्ष, जिसके लिए ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से संबंधित नही होगें। ऐसा अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जावेगा तथा अंकेक्षित खातों के प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत को निष्पादन अनुदान की 50 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. **निजी आय वृद्वि** :–आयोग की रिपोर्ट की बिन्दु संख्या 9.76 के अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदानों की पात्रता पाने हेतु ग्राम पंचायतों को पूववर्ती वर्ष की तुलना में अपनी निजी आय में वृद्धि भी करनी होगी और यह वृद्धि लेखा परीक्षित लेखाओं के माध्यम से स्थापित होनी चाहिए। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत निजी में आय में वृद्धि होने पर संबंधित ग्राम पंचायत को निष्पादन अनुदान की 50 प्रतिशत राशि देय होगी।

उपर्युक्त पात्रता वाली ग्राम पंचायत, सबंधित पंचायत समिति को अपना कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने का दावा संबंधित वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी। पंचायत समिति अपने क्षेत्राधिकार वाली ग्राम पंचायतों के दावें संकलित कर संबंधित जिला परिषद के माध्यम से विभाग को प्रेषित करेगी। ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान के दावें के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें :–

दावा वर्ष	अंकेक्षित खाते	निजी आय वृद्वि का विवरण
2016–17	2013–14 एवं 2014–15	वर्ष 2013–14 के अंकेक्षित खातो में निजी आय से 2014–15 के अंकेक्षित खातो में न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्वि होना आवश्यक है।
2017–18	2014–15 एवं 2015–16	वर्ष 2014–15 के अंकेक्षित खातो मे निजी आय से 2015–16 के अंकेक्षित खातो में न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्वि होना आवश्यक है।
2018–19	2015–16 एवं 2016–17	वर्ष 2015–16 के अंकेक्षित खातो मे निजी आय से 2016–17 के अंकेक्षित खातो में न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्वि होना आवश्यक है।
2019–20	2016–17 एवं 2017–18	वर्ष 2016–17 के अंकेक्षित खातो मे निजी आय से 2017–18 के अंकेक्षित खातो में न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्वि होना आवश्यक है।

अंकेक्षण योग्य रिकार्ड :–निष्पादन अनुदान के लिए दावा प्रस्तुत करने वाली ग्राम पंचायत के निम्नलिखित रिकार्ड का अंकेक्षण किया जावेगा :–

1 ग्राम पंचायत की रोकड़ बही, खाता बही तथा बैंक खातो का अंकेक्षण
2 MIS प्रविष्टियों का अंकेक्षण।
3 PRIA SOFT (प्रिया सॉफ्ट) द्वारा प्रतिपादित रोकड़ बही का अंकेक्षण।
4 प्रिया सॉफ्ट के निर्धारित प्रारूपो का अंकेक्षण।
5 निजी आय की रोकड़ पुस्तिका, रिकार्ड, बैक खाता संख्या, दैनिक लेनदेन एवं बैक पास बुक का अंकेक्षण।

ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के दावें पंचायत समितियों को संबंधित वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत किये जायेंगे। पंचायत समितियॉ ऐसे दावों को संकलित कर जिला परिषदों को संबंधित वर्ष की 15 जुलाई तक तथा जिला परिषदें ऐसे दावों को संकलित कर संबंधित वर्ष की 31 जुलाई तक पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत करेंगी। निर्धारित तिथि 31 जुलाई के पश्चात प्राप्त कार्य निष्पादन दावों पर विभाग द्वारा विचार नही किया जावेगा।

निष्पादन अनुदान हेतु अंकेक्षित खातें एवं निजी आय में वृद्धि की शर्त पूरी ना करने पर या वित्तीय वर्ष में निर्धारित तिथि तक दावा प्रस्तुत नहीं करने पर ग्राम पंचायत की निष्पादन अनुदान राशि अन्य निष्पादन अनुदान की शर्तों पूरी करने वाली ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दी जावेगी।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को देय कार्य निष्पादन अनुदान राशि का उपयोग विभागीय पत्रांक क्रमांक एफ.165(13)/पंरावि/एफ.एफ.सी./2015–16/7007 दिनांक 20.10.2015 द्वारा मूल अनुदान राशि के उपयोग हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत ही किया जावेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र एवं मासिक प्रगति पत्र भी इन्ही दिशा–निर्देशो के अन्तर्गत प्रेषित किये जावेगे।

उपरोक्त दिशा–निर्देश वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर दिनांक 01.02.2016 को अनुमोदित है।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांक : एफ. 165(13) / पंरावि / एफ.एफ.सी. / 2015–16 / जयपुर,दिनांकः

1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3 प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र, लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
4 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज।
5 निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ई.ए.डी.) विभाग, जयपुर।
7 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5.) विभाग, जयपुर।
8 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (योजना) / अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.) मुख्यालय।
9 प्रोग्रामर पंचायती राज विभाग विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
10 रक्षित पत्रावली।

(के.आर. मीना)
वित्तीय सलाहकार